भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3132

दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना

3132. श्री राम प्रसाद चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात-स्थितियों के लिए नए उपचार और टीकों की खोज में तेजी लाने के लिए सरकारी अधिकारी, प्रयोगशालाओं, राज्य प्राधिकरणों और उसके क्षेत्रीय प्रमुखों से मिलकर एक संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा रोग प्रकोप, महामारी और जीका वायरस रोग, इन्फ्लूएंजा एच1एन1 महामारी और कोविड-19 महामारी जैसी पिछली महामारियों के स्रोत को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी, हां ।

(ख) से (घ): नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019, जिसके तहत टीकों को विनियमित किया जाता है, में आपदा या रक्षा उपयोग के लिए विकसित दवाओं, अपूर्ण आवश्यकता, दुर्लभ बीमारियों के लिए और्फ़न ड्रग्स आदि जैसी कुछ स्थितियों में त्वरित/शीघ्र अनुमोदन प्रक्रिया के प्रावधान हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रोग प्रकोप, महामारी और सर्वव्यापी महामारी के खिलाफ बेहतर तैयारी के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य नियंत्रण और रोकथाम उपायों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित बहु-विषयक त्वरित अनुक्रिया दल (आरआरटी) के माध्यम से रोग निगरानी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को मजबूत किया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य

सूचना प्लेटफ़ॉर्म (आईएचआईपी) के तहत आईडीएसपी को सभी स्तरों पर सुलभ वास्तविक समय डेटा रिपोर्टिंग सहित उन्नत डेटा मॉडलिंग और डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है।

प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में, आईडीएसपी के तहत, राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं को मजबूत किया है। साथ ही, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने समय पर प्रयोगशाला आधारित रोगज़नक़ों के निदान के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 150 से अधिक वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अलावा, पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) में शीर्ष प्रयोगशाला के अलावा, आईसीएमआर ने प्रकोपों के दौरान, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक ऑन-साइट निदान सेवाएं प्रदान करने के लिए दो मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशालाएँ विकसित की हैं। इसके अलावा, मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों में एकीकृत और समग्र अनुसंधान और विकास करने के लिए आईसीएमआर द्वारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फ़ोर वन हेल्थ (एनआईओएच) की स्थापना की गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के लिए देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती हुई बीमारियों की पहचान और प्रबंधन करने के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है।

*****